वाद वादी सूचना [illegible]
के लिए ग्राम सभा [illegible] तहसील
पर्चा डी गयी। पत्रावली मुकेश कुमार [illegible]
के समक्ष तथा गवाह [illegible] उपस्थित निर्णय
23-5-18 को ग्राम चौकीदार के द्वारा बाद

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

30-1-18

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
महोदय [illegible] अतः पत्रावली वापिस
[illegible] दिनांक 28-2-18
के [illegible]

तहसीलदार

4.5.18

पटवारी हल्का द्वारा [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि उक्त वाद निर्णय की डिग्री में ग्राम जीवाणी की भूमि
ख.न. 303 रकबा 0.26 हे. के स्थान पर निर्णय दि. 23-5-18
ख.न. 303 रकबा 0.06 का अंकन किया गया है। तकनीकी
में ख.न. 303 रकबा 0.06 का अंकन किया गया है। रकबा
0.26 हे. है अतः इकरार नामा के रकबा के अनुसार
किया जाकर खिवाई का अवलोकन किया गया ख.न.
303 रकबा 0.26 हे. रामसे खिवाई के अनुसार अतः प्रा.प.
स्वीकार किया जाता है। मूल वाद निर्णय में संशोधित रकबा
को दुरुस्त किया जावे। प्रा.प. शामिल पत्रावली की
जाविते 4.5.18 को उनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]